आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद न्यायपीठ 'बी', अहमदाबाद

श्री महावीर प्रसाद, न्यायिक सदस्य के समक्ष
एवं
श्री अमरजीत सिंह, लेखा सदस्य के समक्ष

(आभासी न्यायालय के माध्यम से संचालित किया गया)

S.No	Appeal	A.Y.	Appellant (PAN NO.)	Respondent	A.R.
1	ITA No. 1594/Ahd/2014	1993-94	M/s. Adarsh Steel Re-Rolling Mills **(AAEFA6062G)**	ITO Ward-1, Dahod	Shri S.N. Soparkar & Shri parin Shah
2	IT(SS)A No. 28/Ahd/2020	2013-14	Abellon Cleanenergy Ltd. **(AAHCA1525G)**	DCIT, Central Circle-2(1), Ahmedabad	Shri Tushar Hemani & Shri P.B. Parmar
3-6	ITA Nos. 579 to 582/Ahd/2020	1991-92 to 1994-95	Maheshbhai Shantilal Patel (ABXPP3026F)	DCIT, Central Circle-1(2), Ahmedabad	Shri S.N. Soparkar

राजस्व द्वारा	श्री ललित पी. जैन, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि

सुनवाई की तारीख	25.02.2021
घोषणा की तारीख	25 .02.2021

आदेश/O R D E R

प्रति न्यायपीठः-

उपरोक्त शीर्षकवाली छह अपीलें विभिन्न निर्धारण वर्षो के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपीलें) ('सीआइटी(ए)') के क्रमशः आदेशों से उत्पन्न हुई हैं।

2. अनुशीर्षक वाले निर्धारितीयों ने इस आधार पर उपरोक्त सूचीबद्ध अपीलों को वापस लेने हेतु निवेदन किया है कि उन्होंने 'विवाद से विश्वास

योजना, 2020' (वीएसवी) लाभ उठाने का विकल्प चुना है। जब मामला सुनवाई के लिए बुलाया गया, निर्धारिती के विध्वान परामर्शदाताओंने शुरु में ही प्रस्तुत किया कि वे वीएसवी योजना का लाभ उठाने हेतु उपरोक्त अपीलों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं और इसलिये अनुरोध किया गया है कि अपील वापस लेने के लिए उनके आवेदनों को मंजूरी दी जाये। इस संबंध में लिखित अनुरोधों का संदर्भ भी दिया गया।

3. राजस्व विभाग के विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने कहा कि निर्धारिती की ओर से वर्णित परिस्थितियों में अपील वापस लेने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

4. अनुशीर्षक वाले पक्षकारों की ओर से किए गए मौखिक/लिखित निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, सभी अपीलों को वापस ली गई मानते हुए खारिज किया जाता हैं। तथापि, किसी मामले में निर्धारिती वीएसवी योजना का लाभ लेने में किसी यथार्थ कारणों से असफल होता है, तब निर्धारिती के संबंधित को, आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष मूल अपीलों को कानून के अनुसार पुनः स्थापन कर सुनवाई हेतु मांग करने के लिए स्वतंत्रता होगी।

5. परिणामस्वरुप, अनुशीर्षक वाली सभी अपीलों को वापस ली गई मानते हुए खारिज किया जाता हैं।

(इस आदेश का उच्चारण दिनांकः 25 .02.2021 को खुले न्यायालय में किया गया।)

हस्ता/-	**हस्ता/-**
(अमरजीत सिंह)	**(महावीर प्रसाद)**
लेखा सदस्य	**न्यायिक सदस्य**

अहमदाबाद, दिनांक 25.02.2021

<u>आदेश की प्रतिलिपि अग्रेषितः-</u>